

भारत सरकार  
पंचायती राज मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 375  
दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

**जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना**

**375. श्री रोड़मल नागर:**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार देश में पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित किसी नई योजना पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ताकि जनजातीय बहुल क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सकें; और
- (घ) जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पंचायती राज राज्य मंत्री**

**(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)**

(क) पंचायती राज मंत्रालय (i) पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटरीकरण जैसी ढांचागत/आधारभूत के सहायता के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित

योजना (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी), जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है जिसके तहत पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सेवा प्रदायगी और सार्वजनिक सुधार हेतु उनके सर्वश्रेष्ठ काम की मान्यता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और (iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना को लागू कर रहा है, जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को डिजिटलीकरण के लिए वित्तपोषित किया जाता है, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और इसके समग्र परिवर्तन के लिए (इस योजना के तहत राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है) योजनाएं लागू की जा रही हैं। ये योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य और इसके आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई हैं।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है, जैसे: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण ( पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) और ग्रामीण विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में जनजातीय विकास के लिए निधि का एक समर्पित स्रोत है। यह एक बहुआयामी कार्यनीति है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका आदि के लिए सहायता शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के अलावा, 42 मंत्रालय/विभाग विभिन्न आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी

अवसंरचना के विकास और आदिवासी लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) कमियों को दूर करने के माध्यम से इन पहलों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' (PMAAGY) नामक योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य/ लक्ष्य अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कम से कम 50% आदिवासी आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों का एकीकृत विकास करना है। इस योजना में विकास के 8 क्षेत्रों जैसे सड़क कनेक्टिविटी, दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमियों को कम करने की परिकल्पना की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का भी संचालन कर रहा है, जिसमें ग्राम सभा को वास्तविक वन निवासी अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी), जिसमें सुरक्षा का अधिकार, पुर्नसृजित या संरक्षण या किसी भी सामुदायिक वन संसाधन का प्रबंधन करने के अधिकार सहित, जिसे वे पारंपरिक स्थायी रूप से उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं, को दिए जाने वाले अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने का दायित्व सौंपा गया है।

\*\*\*\*\*